संख्या–36/9/76–का0–2–94

(4)

प्रेषक,

श्री आर०बी० भास्कर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ० प्र० शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ० प्र०।
3–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ० प्र०।

लखनऊ : दिनांक 3 मई, 1994

विषय :– राज्याधीन सेवाओं के राजपत्रित अधिकारियों की गोपनीय पंजिका में चेतावनी, निन्दा भर्त्सना, असंतोष आदि रखे जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भ में समसंख्यक कार्यालय ज्ञाप दिनांकः 29 जुलाई, 1989 द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये थे :–

कार्मिक अनुभाग–2

1–अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों में यदि अन्ततः अधिकारी को निन्दा करने (सेन्सर) का दण्ड दिये जाने का निर्णय लिया जाता है, तभी उसका उल्लेख चरित्र पंजिका में किया जायेगा। यदि निन्दा (सेन्सर) करने का निर्णय नहीं है तो चेतावनी अथवा भर्त्सना (रिप्रीमैन्ड) चरित्र पंजिका में नहीं रखी जायेगी।

2–यदि किसी उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी को चेतावनी दी जाती है अथवा असंतोष (डिसप्लीसर) या भर्त्सना (रिप्रीमैन्ड) सूचित की जाती है तो उसे उस अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा। वर्ष के अन्त में प्रतिवेदक प्राधिकारी प्रविष्टि अंकित करते समय इस पर विचार करेंगे और यदि उस अधिकारी में सुधार पाया जाता है तो उस चेतावनी अथवा असंतोष या भर्त्सना का उल्लेख प्रविष्टि में नहीं किया जायेगा। यदि सुधार नहीं पाया जाता है तब उस चेतावनी अथवा असंतोष या भर्त्सना को चरित्र पंजिका में रखते हुये वार्षिक प्रविष्टि में उसका उल्लेख किया जायेगा।

2–शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अब निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

(1) अनुशासनिक कार्यवाही के फलस्वरूप लिये गये निर्णय के अनुसार जारी निन्दा (सेन्सर), चेतावनी (वार्निंग), असंतोष (डिसप्लीजर) या भर्त्सना (रिप्रीमैन्ड) आदि से सम्बन्धित पत्रों को अधिकारी की चरित्र पंजी पर रखा जायेगा।

(2) शासन स्तर से जारी चेतावनी, असंतोष या भर्त्सना सम्बन्धी पत्रों को भी सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजी पर रखा जायेगा।

(3) अधिकारी की वार्षिक प्रविष्टि अंकित करने हेतु प्राधिकृत प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारियों द्वारा दी गयी चेतावनी अधिकारी की चरित्र पंजिका पर केवल उस स्थिति में रखी जायेगी, जब वार्षिक प्रविष्टि अंकित करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यह उल्लेख किया जाय कि सम्बन्धित अधिकारी को चेतावनी दी गयी थी। इस सम्बन्ध में प्रस्तर–1(2) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(4) शासन से भिन्न प्राधिकारियों जिसमें सांविधिक प्राधिकारी (Constitutional Authority) भी सम्मिलित है द्वारा जारी की गयी चेतावनी आदि को सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजी पर रखने के सम्बन्ध में शासन द्वारा समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये सावधानी पूर्वक विचार कर यह निर्णय लिया जायेगा कि इसे चरित्र पंजी पर रखा जाय अथवा नहीं।

(5) चरित्र पंजी पर उपरोक्तानुसार रखी गयी चेतावनी, भर्त्सना, असंतोष आदि को प्रतिकूल प्रविष्टि के रूप में माना जायेगा और तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

3—कृपया शासन द्वारा लिये गये उक्त निर्णयों से अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
आर०बी० भास्कर,
सचिव।

संख्याः 36/9/76—का०—2/94(1), तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
डा० जी०डी० माहेश्वरी,
विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 26 सा० नियुक्ति—23—3—2010—(2621)—1000—(कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।